



महालेखाकार (लेखा एवं हकबारी) - द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh



No. Pension/ 923

Date :- 3-6-19

Under Special Seal Authority

To,

The

1.	Principal Accountant General (A&E) Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2.	Director of Audit & Pension Govt. of Aurnachal Pradesh, Naharlagun	791110
3.	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
4.	Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
5.	Accountant General (A&E), Chatisgarh, 12/27. Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafadih, Raipur	492009
6.	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panji, Goa	403101
7.	Accountant General (A&E), Gujrat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
9.	Senior Deputy Accountant General (A&E) Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
10.	Principal Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11.	Principal Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5 Bangalore	560001
12.	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G Road, Thrivanathapuram	695039
13.	Office of the Principal Accountant General (A&E), Tharkhand, Ranchi	834002
14.	Principal Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karve Road, Mumbai	400020
15.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Cicil Line, Nagpur	440001
16.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18.	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Building, Dinthar, Aizawl	796001
19.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
20.	Accountant General (A&E), Orissa, Bhubaneswar	751001
21.	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector 17E, Chandigarh	160017
22.	Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
23.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102

Transferred
to PM-OG-ES
for N.M.

25/6/19
AOO/PM-OG

Address : Lekha Bhawan, Inansi Road, Gwalior-474002
Phone : 0751-2323968
Fax : 0751-2432194

पता : लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर - 474002
दूरभाष : 0751-2323968
फैक्स : 0751-2432194

546760
12/6/19

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र.3(ए) 19/2003/21-ब(एक)4552
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3.10.2018

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को दिनांक 01.07.2018 से पुनरीक्षित दर से पेंशन पर राहत का भुगतान।

केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-11(बी), दिनांक 11.09.2018 द्वारा पूर्व पुनरीक्षित (छठवा वेतनमान) प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिनांक 01.07.2018 से 142 से बढ़ाकर 148 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रदाय महंगाई भत्ता के समान न्यायिक सेवा के कार्यरत सदस्यों को भी महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती रही है। उक्त नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त सदस्यों को सेवारत सदस्यों के समान ही महंगाई भत्ता/ राहत की पुनरीक्षित दरें लागू होंगी।

अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2010 के नियम-11(3) के अंतर्गत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को दिनांक 01.07.2018 से पेंशन पर राहत 142 प्रतिशत से बढ़ाकर 148 प्रतिशत की दर से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

- (1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई राहत का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008-ई-11(बी), दिनांक 11.09.2018 में बताई गई रीति से होगा।
- (2) इस आदेश के तहत देय महंगाई राहत का भुगतान दिनांक 01.07.2018 से नगद किया जावेगा।
- (3) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

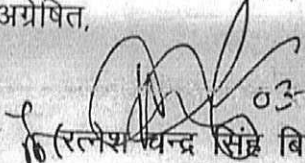
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

37. यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
 38. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
 39. पंजाब नेशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
 40. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेन्ट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
 41. अवर सचिव, मानिट्रिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि विभाग, भोपाल,
 42. महालेखाकार, अन्य राज्य.....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,


(रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन)
03-10-2018
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग